



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 19—अक्टूबर 25, 2013 (आश्विन 27, 1935)

No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 19—OCTOBER 25, 2013 (ASVINA 27, 1935)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक  
(सचिव विभाग)  
मुम्बई-400001

भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 के विनियम 24 में संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक का केन्द्रीय बोर्ड, केन्द्र सरकार की पूर्व स्वीकृति से, एतद्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 के विनियम में निम्नानुसार संशोधन करता है यथा:

- (1) इन विनियमों को भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य (संशोधन) विनियमावली, 2013 कहा जाए।
- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में 8 अगस्त 2013 को अपने प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

1. भारतीय रिज़र्व बैंक सामान्य विनियमावली, 1949 के मौजूदा विनियम 24 की उप धारा (i) और (ii) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए:

24(i) अधिनियम की धारा 8(1) (बी), 8(1) (सी) तथा 12 (4) के अंतर्गत नामित निदेशकों को केन्द्रीय बोर्ड की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहने पर रु. 20,000/- और केन्द्रीय बोर्ड की समिति की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहने पर रु. 10,000/- सहभागिता शुल्क देय होगा:

(ii) स्थानीय बोर्ड के निदेशकों को स्थानीय बोर्ड की प्रत्येक बैठक में उपस्थित रहने पर रु. 20,000/- सहभागिता शुल्क देय होगा।

जी. गोपालकृष्णा  
कार्यपालक निदेशक

पंजाब केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बठिण्डा (पंजाब)

बठिण्डा, दिनांक जुलाई 2013

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के परिनियम 2(4) में संशोधन

क्र.सं.	वर्तमान	संशोधित
1.	कुलपति की पुनर्नियुक्ति कुलपति अपने कार्यालय में कार्यग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष की एक अवधि तक, अथवा जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक पद धारण करेंगे तथा वह पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।	कुलपति की पुनर्नियुक्ति कुलपति अपने कार्यालय में कार्यग्रहण की तिथि से पाँच वर्ष की एक अवधि तक, अथवा जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक पद धारण करेंगे तथा वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक एक अन्य कार्यालय के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होंगे।

जगदेव कर्तार सिंह  
कुलसचिव

RESERVE BANK OF INDIA  
(SECRETARY'S DEPARTMENT)  
Mumbai-400001

Amendment to Regulation 24(i) and 24(ii) of the Reserve Bank of India General Regulations, 1949

In exercise of the powers conferred by Section 58 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Board of the Reserve Bank of India, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Regulations further to amend the Reserve Bank of India General Regulations, 1949, namely,

- (1) These Regulations may be called as the Reserve Bank of India General (Amendment) Regulations, 2013.
- (2) These Regulations shall come into force on 8th August, 2013 on their publication in the Official Gazette.

- In the Reserve Bank of India General Regulations, 1949, for the existing Sub-Regulations (i) and (ii) of Regulation 24 the following shall be substituted

- Directors nominated under Section 8(1)(b) and 8(1)(c) and 12(4) of the Act shall receive a fee of Rs. 20,000/- for each meeting of the Central Board which they attend and Rs. 10,000/- for each meeting of the Committee of the Central Board which they attend
- Members of a Local Board shall receive a fee of Rs. 20,000/- for each meeting of the Local Board which they attend

G. GOPALAKRISHNA  
Executive Director

CENTRAL UNIVERSITY OF PUNJAB, BATHINDA (PUNJAB)

Bathinda, the July 2013

Amendment to Statute 2(4) of the Central Universities Act 2009

Sl. No.	Existing	Amended
1.	Re-appointment of Vice Chancellor The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier and he shall not be eligible for re-appointment.	Re-appointment of Vice Chancellor The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of seventy years, whichever is earlier, and he shall be eligible for re-appointment for another term, till he attains the age of seventy years.

JAGDEV KARTAR SINGH  
Registrar

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2013

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2013

www.dop.nic.in